न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 19/23 वाद GCMS NO : 2023/00010
पूर्व प्रकरण संख्या : 99/2017

1. श्रीमती वगत कुंवर पत्नी श्री नाहरसिंह जी देवड़ा, निवासी– देबारी, दाह का खेड़ा, नला फला रोड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती उगम कुंवर पत्नी श्री विजयसिंह जी देवड़, निवासी– देबारी, दाह का खेड़ा, नला फला रोड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मेहताब कुंवर पत्नी श्री नवलसिंह जी देवड़ा, निवासी– देबारी, दाह का खेड़ा, नला फला रोड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री सोहनसिंह पिता श्री अमरसिंह जी देवड़ा, निवासी– देबारी, दाह का खेड़ा, नला फला रोड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 12.08.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम देबारी, पटवार मण्डल देबारी तहसील गिर्वा के खाता संख्या 824 आराजी संख्या 2033 रकबा 0.0950 हैक्टयर भूमि जिसमें प्रार्थी संख्या 1 के नाम 175/950 वॉ हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 का 2325/3800 वां हिस्सा [illegible] अपने हिस्से पर काबिज है, किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा नहीं हुआ है। आराजी संख्या 2034 रकबा 0.0400 हैक्टयर आ.चा. नामी नानकिया बीड़ा का कुऑ स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा दर्ज है। आराजी संख्या 2033 के उत्तर दिशा की तरफ आराजी संख्या 2032, 2031, 2030 में जो कि नगर विकास प्रन्यास् से आवासीय प्रयोजनार्थ कनवर्ट है, में 30 फिट रोड़ बना हुआ है जिसमें से होते हुए आराजी संख्या 2033 में होते हुए कुआ जिसके आराजी संख्या 2034 में आते है तथा कुॅए से होकर उसके बाद प्रार्थीगण के सह स्वामित्व की आराजी संख्या 2036, 2039 में आने के लिए रास्ते के रूप में कदिम समय से उपयोग उपभोग कर रहे है। इसी रास्ते से ट्रैक्टर बेलगाड़ी आदि लाते है और पैदल खेतों व कुॅए पर आने जाने के शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षीगण आए दिन आराजी संख्या 2033 के उत्तर की तरफ बने हुए रास्ते की भूमि पर पत्थन की कोट बनाकर उक्त आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमदा है, तथा मौके पर रास्ते को बन्द कर विभाजन कराये बिना बिना निर्माण कार्य करने पर उतारू है। वाद कारण दिनांक 13.11.2017 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण आरजी संख्या 2033 में रास्ते की भूमि पर पत्थर डलवा दिए गए। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा आराजी संख्या 2033 में होते हुए कुआ जिसके आराजी संख्या 2034 में आते है तथा कुॅए से होकर उसके बाद प्रार्थीगण के सह स्वामित्व की आराजी संख्या 2036, 2039 में आने के लिए रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि उक्त आराजीयात में कई खातेदार है जिनको खातेदार नहीं बनाया गया है तथा आराजी संख्या 2033 में प्रार्थी संख्या 2 किसी प्रकार का खातेदार हक व अधिकार नहीं रखता है, आराजी संख्या 2033 प्रार्थी संख्या 1 व विपक्षीगण की खातेदार में दर्ज है। इस आराजीयात में किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है। आराजी संख्या 2034 भूमि एक नानकीया बीड़ा नामी कुॅआ है जिसके अन्य कई खातेदार है। प्रार्थी संख्या 2 केवल मात्र कुॅए के उपयोग उपभोग के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा केवल प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के मध्य विभाजन होना नहीं बताया है, जबकि विपक्षी संख्या 2 भी इस भूमि के खातेदार है। मौके पर इस प्रकार से कोई रास्ता नहीं है ना ही किसी प्रकार से कोई वाहन, बेलगाड़ी कभी भी नहीं ले जाए गए है। आराजी संख्या 2034 केवल कुॅए की आराजी है। कुॅए के उपयोग उपभोग पर प्रार्थीगण किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कथित आराजी 2036, 2039 के अन्य खातेदारों ने कभी कोई आपत्ति नहीं की है। विपक्षी संख्या 1 आराजी संख्या 2033 में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत् विपक्षी संख्या 2 को सम्मिलित करते हुए बटवाड़ा कराये जाने के लिए तत्पर है, क्यों कि बंटवाड़ा सभी पक्षकरों के मध्य होता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 2 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से विपक्षी संख्या 2 के जवाब अवसर बंद किए गए।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया एवम् अप्रार्थी द्वारा बताया कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को अपुर्णीय क्षति होगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः** – उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी का है। प्रार्थी के अनुसार प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजियात का बटवारा करवाना चाहते है, अपनी उक्त खातेदारी भूमि को विपक्षी संख्या 1 व 2 के साथ संयुक्त खातेदारी के रूप में नहीं रखना चाहते है, इसलिए बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचारधीन है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भमि है दोनो उक्त भूमि अपने हक हिस्से कब्जे अनुसार काश्त करते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत बंटवाड़ा न्यायालय द्वारा किया जाता है। बंटवाड़ा न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए साक्ष्य,गवाह,बयान के आधार पर अंतिम निर्णय किया जाता है, किन्तु बंटवाड़ा नही होने तक विपक्षीगण प्रार्थीगण को उसकी हक व हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है तथा उक्त आराजीयात में आवागमन के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

2. **अपूरणीय क्षतिः**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना साबित करना होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है। प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी अपने हक अधिकारी [illegible] रह जाएगा। जिससे प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति होती है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थपना पत्र ठोस आधारों पर साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष किसी भी पक्षकार को राजस्व ग्राम देबारी, पटवार मण्डल देबारी तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 2034 जो कुॅआ है, के पानी के उपयोग उपभोग एवं प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि आराजी संख्या 2034, 2036 व 2039 में अपने जाने के लिए किसी को नहीं रोके।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested